



भारतीय रिज़र्व बैंक
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग
क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै
Reserve Bank of India
Rural Planning and Credit Department
Regional Office, Chennai


लाइसेंस सं. ग्राआऋवि (चे) 12-सी/03.00.109/
2011- 12 दिनांक 09 जनवरी, 2012

(संदर्भ लाइसेंस सं. ग्राआऋवि (चे) 1/03.00.109/
2009-10 दिनांक 06 अप्रैल, 2010)

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम,
1949 की धारा 56 (ओ) के साथ पढी जानेवाली धारा
22 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
कोयम्बतूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लि., कोयम्बतूर
641 018 को एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन
बैंकिंग कारोबार करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर
लाइसेंस प्रदान किया जाता है:

(क) बैंक के परिचालन का क्षेत्र केवल तमिलनाडु के
कोयम्बतूर जिला और तिरुपुर जिला के कुडिमंगलम,
उदमलपेट, मडतूकुलम, अविनाशि, पल्लडम, तिरुपुर
ब्लॉकों तक ही सीमित होगा।

(ख) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा
उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि लाइसेंस प्राप्त होने के बाद की
तारीख से प्रदर्शित करेगा।


(एम.एम.माज़ी)
महाप्रबंधक


LICENSE NO.RPCD.(Che)12-C/03.00.109/2011-12
dated January 09, 2012

(Ref: License. No. RPCD.(Che)1/03.00.109/2009-
10 dated March 31, 2010)

In exercise of the powers conferred on the
Reserve Bank of India by Section 22(1) read with
Section 56(o) of the Banking Regulation Act,
1949, **The Coimbatore District Central
Co-operative Bank Ltd, Coimbatore – 641 018**
is hereby granted a license to carry on banking
business, subject to the following conditions:

(a) The area of operation of the bank shall be
confined only to **Coimbatore District and
Kudimangalam, Udumalpet, Madathukulam,
Avinashi, Palladam, Sultanpet, Tirupur blocks
of Tirupur District in TamilNadu**

(b) This license or a certified copy thereof shall be
displayed at the registered office of the bank from
the date following the receipt thereof.


(M.M. Majhi)
General Manager

(This license has been issued in lieu of the license issued earlier by RBI , RPCD, Regional Office
Chennai vide RPCD.(Che)/1/03.00.109/2009-10 dated March 31, 2010)